कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, 4–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर,देहरादून – 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2713716, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या– 342 /XXV – 01 / 2018 देहरादून : दिनांक 05 मार्च, 2018

कार्यालय –ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को अपना कार्याकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री महेन्द्र सिंह माहरा की सेवानिवृत्ति के उपरान्त होने वाली रिक्ति की पूर्ति हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने प्रेस नोट संख्या– **ECP/PN/172018** दिनांक 23 फरवरी, 2018 के द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:–

1	अधिसूचना जारी करने की तारीख	05 मार्च, 2018 (सोमवार)
2	नाम निर्देशित करने के अन्तिम तारीख	12 मार्च, 2018 (सोमवार)
3	नाम निर्देशित की संवीक्षा की तारीख	13 मार्च, 2018 (मंगलवार)
4	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	15 मार्च, 2018 (गुरूवार)
5	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	23 मार्च, 2018 (शुक्रवार)
6	मतदान का समय	पूर्वान्ह 09:00 से अपरान्ह 04:00 बजे तक
7	मतगणना की तिथि एवं समय	23 मार्च, 2018 (शुक्रवार) के अपरान्ह 5:00 बजे से
8	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा।	26 मार्च, 2018 (सोमवार)

2. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन–2018 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराए जाने हेतु रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर, राजनैतिक दल, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों तथा उक्त निर्वाचन से संबंधित समस्त निर्वाचकगणों आदि का ध्यान **निम्न प्रकार निर्वाचन संबंधी विभिन्न अपराधों की ओर आकृष्ठ किया जाता है:–**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा:–

123–भ्रष्ट आचरण:–

I. रिश्वत
II. अनुचित प्रभाव
III. धर्म, वंश, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर अपील अथवा धर्म या राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम पर अपील,
IV. धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देना,
V. अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र अथवा आचरण या उसकी उम्मीदवारी के संबंध में मिथ्या विवरण का प्रकाशन,
VI. वाहनों को किराए पर लेना या उनका प्रापण करना अथवा ऐसे वाहनों का मतदाताओं को मुफ्त में लाने व ले जाने के लिए प्रयोग करना।
VII. XX XX XX XX XX XX XX
VIII. सरकारी कर्मचारियों की विशिष्ट श्रेणियों से सहायता प्राप्त करना अथवा उसका प्रापण एवं,

..2

IX. बूथ कैप्चरिंग।

निर्वाचन संबंधी अपराध:–

1. धारा–125–निर्वाचन के संबंध में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना।
2. धारा–126–प्रतिषिद्ध अवधि के दौरान जन–सभाओं पर प्रतिबन्ध।
3. धारा–127–निर्वाचन सभाओं में उपद्रव या बाधा।
4. धारा–127क–पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बधंन।
5. धारा–128–मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना।
6. धारा–130–मतदान केन्द्रों में या उनके निकट प्रचार पर प्रतिबंध।
7. धारा–131–मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण।
8. धारा–132–मतदान केन्द्रों पर कदाचार।
9. धारा–133–निर्वाचनों में वाहनों को अवैध रूप से भाड़े पर लेना अथवा उनका अवैध प्रापण।
10. धारा–134ख– मतदान केन्द्रों पर अथवा उसके आस–पास शस्त्र ले कर जाने का प्रतिषेध।
11. धारा–135–मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाना।
12. धारा–135क–बूथ कैप्चरिंग।
13. धारा–136–अन्य अपराध, जैसे– निर्वाचन कागजों, दस्तावेजों, मतपत्रों एवं मतपेटियों आदि को धोखे से या अपराधिकृत तरीके से नष्ट करना।

भारतीय दण्ड संहिता:–

1. धारा–171ख– रिश्वत
2. धारा– 171ग– निर्वाचन पर अनुचित तरीके से प्रभाव डालना।
3. धारा–171घ– निर्वाचन में प्रतिरूपण
4. धारा–171छ– निर्वाचन के संबंध में मिथ्या कथन।
5. धारा–171ज– निर्वाचन के संबंध में अवैध भुगतान।

3. राज्यसभा निर्वाचन में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उक्त किसी भी नियम/नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा दल के विरूद्ध सुसंगत नियम/नियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

4. सभी राजनैतिक दलों, राज्यसभा के निर्वाचन हेतु मा0निर्वाचकगणों एवं निर्वाचन लड़ने वाले सम्भावित सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि कृपया उक्त निर्वाचन में स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

दिनांक:– **05 मार्च, 2017**
स्थान:– **देहरादून**

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि:– 1– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड की सेवामें उक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

2– संयुक्त सचिव, विधान सभा एवं रिटर्निगं आफिसर, राज्यसभा निर्वाचन, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त की प्रति समस्त निर्वाचकों, नामनिर्देशित अभ्यर्थियों को भी अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव/सचिव, मान्यता प्राप्त समस्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।